

30/11/19
ACF
Aololst

राजस्थान सरकार
कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
(साधारण बीमा निधि)

वित्त भवन, डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर

क्रमांक : F4(31)SIPF/GIS/Deptt Audit/अंकेक्षण दल गठन/प्रशिक्षण/2019-20/2917-

दिनांक 14.11.19


अतिरिक्त निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर।

विषय :- दिनांक 18.11.19 से 22.11.19 तक की सा.बी.यो.से संबंधित विभिन्न योजनाओं का अंकेक्षण कार्यक्रम स्थगित करने बाबत।

प्रसंग :- पत्रांक एफ 4(31)एसआईपीएफ/जीआईएस/डिपार्टमेन्ट ऑडिट/2016/1713-1762
दिनांक 02.08.19

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के कम में लेख है कि दिनांक 14.11.19 से 22.11.19 तक "बाल दिवस बीमा सुरक्षा सप्ताह" मनाये जाने के फलस्वरूप प्रासंगिक पत्र द्वारा पूर्व निर्धारित अंकेक्षण कार्यक्रम (दिनांक 18.11.19 से 22.11.19 तक) को निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के निर्देशानुसार आगामी आदेशों तक निम्नांकित कार्यालयों का अंकेक्षण कार्यक्रम स्थगित किया जाता है -


| कार्यालय का नाम जिसका अंकेक्षण किया जाना है। | अंकेक्षण करने वाले कार्यालय का नाम |
|---|------------------------------------|
| 1. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि भरतपुर | डूंगरपुर |
| 2. उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि जालौर | सिरोही |
| 3. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि उदयपुर शहर | भीलवाडा |


सुनील चन्द बसल
अतिरिक्त निदेशक
साबीनि, जयपुर।

क्रमांक : F4(31)SIPF/GIS/Deptt Audit/अंकेक्षण दल गठन/प्रशिक्षण/2019-20/2917-2959 दिनांक 14.11.19

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (सिस्टम) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय जयपुर को भिजवाकर अनुरोध है कि इस पत्र को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
4. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जिला कार्यालय


सौम्या शर्मा
उप निदेशक (ऑडिट)
साबीनि, जयपुर।